

2022/350

**फर्द अहकाम**

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)


अदालत- ..... सहायक कलक्टर ..... मुकाम- ..... डीडवाना .....

प्राथीया :- सुमन देवी पुत्री स्व० गोर्धन उर्फ गोर्धन राम पत्नि जितेन्द्र जाति मेघवाल उम्र 32 वर्ष निवासी लादड़िया तहसील डीडवाना हाल निवासी सरकारी विधालय नम्बर 01 के सामने, राजोरा बास मकराना, तहसील मकराना जिला नागौर राजस्थान।

**बनाम्**

अप्रार्थीगण :- गोमाराम पुत्र स्व० गोर्धन जाति मेघवाल निवासी बालाजी की बगीची के सामने रसीदपुरा रोड़ लादड़िया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह।

समुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 132 सन्-.....2022..

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
06.2022	<p>प्राथीया सुमन देवी पुत्री स्व० गोर्धन उर्फ गोर्धन राम पत्नि जितेन्द्र जाति मेघवाल उम्र 32 वर्ष निवासी लादड़िया तहसील डीडवाना हाल निवासी सरकारी विधालय नम्बर 01 के सामने, राजोरा बास मकराना, तहसील मकराना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण गोमाराम पुत्र स्व० गोर्धन जाति मेघवाल निवासी बालाजी की बगीची के सामने रसीदपुरा रोड़ लादड़िया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह का पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद लादड़िया के खसरा सं० 683, 761, 762, 763 में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी पक्ष सी०पी०सी० के आदेश 39 के नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.07.2022 को पेश हो।</p> <p> सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)</p>	



30.12.25

मैं पत्रावली आगे नहीं  
चलाना नहीं चाहती हूँ।  
~~चलाना~~ चलाना

सुमन

पत्रावली पार्थिवा के मिशन लक्ष्य  
के आदेश पर काज पेश हुई। पार्थिवा  
ने पार्थना पत्र पेश कर पत्रावली जरिमे  
नोट प्रेस खारिज करवाने का निकेस  
किपा। पार्थिवा का पार्थना पत्र न्यायालय  
में स्वीकार किपा जाकर पत्रावली  
जरिमे नोट प्रेस खारिज की जाती है  
पत्रावली अपने नम्बर से कट होकर  
फ़ैसल शुभकर है।

Wras

उपखण्ड अधिकारी,  
डीडवाना